



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2018/श्रावण 15, 1940

No. 542]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2018/SHRAVANA 15, 1940

गृह मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 741(अ).—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ), तारीख 12 जुलाई, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 12 जुलाई, 2018 में प्रकाशित की गई थी, के नियम 2 में,-

- (i) "आयुद्ध नियम, 2016 में,-", के स्थान पर, "आयुद्ध नियम, 2016 के नियम 15 में,-" पढ़ें ;
- (ii) पहले परंतुक में,-

- (क) "निर्बंधित प्रवर्ग या आयुद्ध या गोला-बारूद के लिए अनुज्ञप्ति का धारक" के स्थान पर, "निर्बंधित प्रवर्ग का आयुद्ध या गोला-बारूद के लिए अनुज्ञप्ति का धारक" पढ़ें ;
- (ख) "अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)" के स्थान पर, "अनुज्ञप्तिधारी की विद्यमान विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) : " पढ़ें ।

[फा.सं. 11026/133/2017-आयुद्ध]

एस सी एल दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 3rd August, 2018

G.S.R. 741(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G.S.R. 644 (E) dated the 12th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 12th July, 2018, in rule 2,

(i) For “In the Arms Rules, 2016,—”, read “in rule 15 of the Arms Rules, 2016,—”;

(ii) In the first proviso,—

(a) for “holder of a licence for Restricted Category or arms”, read “holder of a licence for Restricted Category of arms”;

(b) For “existing UIN of the licensee;” , read “existing UIN of the licensee:”.

[F.No. 11026/133/2017-Arms]

S C L DAS, Jt. Secy.